Reform Milestones under AMRUT – FY-2018-19 Nagar Palika Parishad, Loni (Ghaziabad)

Sr.	Reform Milestones	Supportin	Page			
No.		g Doc.	No.			
1. D	ouble Entry Accounting System					
1. 1	and Publication of annual financial Statement and Audit Balance- Annex 1 1 2-3					
2. U	rban Planning & City Development Plan's					
2.1	Preparation of Master Plan using GIS: At State level					
2.2	Develop at least one children park every year in the AMRUT cities (Year 2015-16, 2016-17 and 2017-18).	Annex 2.2	4-16			

Annex. 1.1




Nagar Palika Parishad Loni Ghaziabad

218 Khanna Nagar, Loni (Gzb.)

Balance Sheet

1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Liabilities	as at 31	-Mar-2018	Assets	as at 31	-Mar-2018
Capital Account		18.64.28.54.929.59	Fixed Assets		18,01,82,63,468.00
Reserves & Surplus	49,14.00,242.36		Bridge	2,14,82.207.00	,,
Municipal (General) Fund	18,15.14.54,987.23		Building	2,41,95.318.00	
, , ,			Chhath Ghat	5,76,691.00	
Loans (Liability)		21,37,74,997.00	Computer	2,74,675.00	
Revolving Fund	21,37,74,997.00		Furniture & Fixtures	76,93,832.00	
•			Jersey Barrier/ Divider	28,02,704.00	
Current Liabilities		9,35,91,951.23		24,10.73,803.00	
Employees Contribution - P.F.	1,01,92,049.00		Land	15,38 02,10,900.90	
Employers Contribution - Pension	68,40,459.23		Land Development	2,17,91,444,00	
Security Received	4,14,01,447.00		Office & Other Equipment	33,51,511.00	
Provisions	1,94,96,330.00		Park Development	1,22,48,621,00	
Sundry Creditors	79,42,404.00		Plant & Machinery	2,38,21,695,00	
Advance Contract Advertisment Fees	4,00,000.00		Public Lighting	2.14.35.909.00	
Withhold for G.S.T.	73,19,262.00		Road	1,87,85,12,335,00	
			Sewerag & Drainage	23,45,81,990,00	
Profit & Loss A/c			Vehicles	1,46,27,231,00	
Opening Balance			Water Works Distribution	12,95,83,502.00	
Current Period	(-)25,17,12,828.17		Water Works Distribution	12,00.00,002.00	
Less: Transferred	(-)25,17,12,828.17		Current Assets		93.19.58.409.82
2000. Handioned	·		Closing Stock	4.74.640.00	00,10,00,400.02
			Sundry Debtors	30,46,17,506,00	
			Bank Accounts	41,11.44,695.82	
			Advance Internet Exp.	11,703.00	
			Work in Progress	21,57.09,865.00	
			work in Frogress	21,07,08,000.00	
Total		18,95,02,21,877.82	Total		18,95,02,21,877.82



Annex. 2.2

कार्यालयः- नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद- गाजियाबाद

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, एस0एल0एफ0 द्वारा विकिसत वेद विहार कालोनी का दिनॉक 06/06/2011 को नगरपालिका परिषद, लोनी को स्थानान्तरण किया गया जिसमे 27 पार्क सम्मिलित थे जिनमें से ब्लाक सी के एक पार्क को अमृत सुधारों के अन्तर्गत 2015-16 में नवयुग चिलड्रन पार्क के रूप में घोषित किया गया है, जो कि में वार्ड नं0-12 में है। जिसका क्षेत्रफल - 670 वर्गमीटर है। इसका रख-रखाव निकाय द्वारा किया जा रहा है, इस से सम्बन्धित अभिलेख एवं सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

कार्यालयः - नगरपालिका परिषद, लोनी

पत्रोंक संख्या- 27 /न0पा0प0/स्थानान्तरण/2010-11

स्थानान्तरण-पत्र

अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- सीएम-373/आठ-1-9-48जी0डी0ए0/08 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ के दिनांक 15-02-2009 जो उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सम्बोधित के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्वीकृत वेद विहार कालोनी में अनुरक्षण शुल्क वसूल किये जाने तथा अपने स्तर से नगर आयुक्त के साथ बैठक कर प्रश्नगत कालोनी को नगर निगम को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे, इसी क्रम में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या- 322(1)/एम0पी0/09 दिनांक 23-03-2009 के निर्देशों के क्रम में प्रथम पक्ष पार्टनर सदगुरू लैण्ड फाईनेन्स, 898, जोशी लेन, करोलबाग नई दिल्ली 110005 से द्वितीय पक्ष अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद) एस०एल०एफ०, वेद विहार कालोनी निम्न सडके आदि सामग्री प्राप्त करती है। जिनका विवरण निम्न से है:-

- 1- पक्की सडके :-
- 1- 18 मीटर चोडी डामर सडक की कुल लम्बाई 2574 मीटर।
- 2- 12 मीटर चोडी डामर सडक की कुल लम्बाई 738 मीटर।
- 3- 9 मीटर चोडी डामर सडक की कुल लम्बाई 4011 मीटर।
- 4- 6 मीटर चोडी डामर सडक की कुल लम्बाई 490 मीटर।
- 2- नाली:-
- 1- वर्षा निकासी की नालियों की कुल लम्बाई 10385 मीटर है।
- 3- पार्क:-
- 1- ए ब्लॉक पार्क- 7
- 2- बी ब्लॉक पार्क- 3
- 3- सी ब्लॉक पार्क- 4
- 4- ई ब्लॉक पार्क- 4
- 5- एफ ब्लॉक पार्क- 9
 - कुल पार्को 27
- 4- ओवर हैड टेंक:- 01
- 5- नलकूप की संख्या- 02
- 6- सीवर लाईन:-
- 1- 18 मीटर चोडी सडक पर सीवर लाईन की लम्बाई 2574 मीटर।
- 2- 12 मीटर चोडी सडक पर सीवर लाईन की लम्बाई 736 मीटर।
- 3- 9 मीटर चोडी सडक पर सीवर लाईन की लम्बाई 4011 मीटर।
- 4- 6 मीटर चोडी सडक पर सीवर लाईन की लम्बाई 490 मीटर।
- 5- सीवरेज पम्प रूम सी ब्लाक।

कुल सीवर लाईन की लम्बाई - 7811 मीटर।

D:\2011\MARCH 2011.doc

- 7- सीवरेज निस्तारण के लिए व वर्षा के पानी की निकासी के लिए 1.30 एकड की भूमि सीवरेज टैंक।
- 8- विद्युत कनैक्शन- एक विद्युत कनैक्शन नं0 543612 किजली बोर्ड से वेद विहार की स्ट्रीट लाईटों के लिए लगाया गया है।
- 9- स्ट्रीट लाईटों की संख्या-

ब्लाक	मरकरी	साधारण	<u>बच कों</u> ने -
ए	15	15	कुल बल्बों की संख्या 30
बी	12	8	20
सी डी	15	7	22
ड। ई	18	17	35
रू एफ	5	7	12
540	1	8	15

10- सडकों के किनारे व पार्को में जगह-जगह वृक्षारोपण की स्थिति:-

	न मानम न लानि-लानि
ब्लाक	वृक्षों की संख्या
ए	52
बी	32
सी	21
डी	38
ई	20
एफ	25

Genette Land Finance

Рами पार्टनर

सदगुरू लैण्ड फाईनेन्स 898, जोशी लेन करोलबाग नई दिल्ली 110005

प्रथम पक्ष

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका, परिषद् लोनी अभिनाती अधिकारी नगरप(ग्रीजियाबाद) तोनी

द्वितीया पक्ष

अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद) द्वितीय पक्ष

<u>कार्यालयः - नगरपालिका परिषद,लोनी (गाजियाबाद)</u> वित्तिय वर्ष - 2015-2016

1-का - का	र्य का नाम/क्रय	की गई सा	_{मग्री} - <u>19</u> 24	2 7 alo	35 मी	० वद्यराम	नगर	क्लॉक रु	पार्क	
4-01	प्रमागत व्यय							कोष/नया सवेरा-		
6-का	र्याविध - 26 म	TE								
8-भुग	तान का विवरण			alti Z	-52					
क्र0 सं0	बिल की राशि			क	टोती			ठेकेदार को भुगतान	भुगतान की दिनॉकः	अभियुक्ति
		आयकर	वा0 कर	रायल्टी	सेसकर	जमानत	अन्य			
1	5,04 910	5,649	9010/	5	6	7	8	9	10	11
2	5,04,410	5,099	20,196	10,786	5,049	40000		4,23,830	02-11-15	
3										4
4										
योग	5.04,910	5,049	20,196	10,786	5,049	40000	-	423,830		
೧9-ಕಾ	र्य की प्रारम्भ दि									
10-का	र्य की समाप्त दि	गाकः नॉकः	10-0	4-15						
11-का	र्य की प्रकृति (म तिक विवरण :	रम्मत/नवि	नेर्माण/सुधा	र) <i>हा</i>	र्गन्यां व					
HOF			1-	आगणन मे	ं कार्य की म	मात्रा				
			2-	वास्तविक						
	म्प की राशि		O H.C.							
14-अ	य विवरण	×								



श UTTAR PRADESH BW 687496 त्रारपालिका परिषद,लोनी (गालियाबाद) द्वितीय पक्ष । ..निर्माण करने का ठेका पूर्वानुमान अंकन- रू०.५००० अन्य स्विध्याः से स्टीमेट रेट/००। % कम/अधिक वर पर लिया है, खीकृत धनराशि अंकन 50....... 4.9,9.50 8; वोनों पा निम्नतिखित नियमों के पाव द रहेगें :-----01- अथम पक्ष उपरोक्त निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्र दाखिल करने के टेन्डर के समय दिये गये समय के पूर्वीनुमान के अनुसार पूर्ण करेगा, यदि प्रथम पक्ष किसा दैकिः आपित के कारण निर्माण कार्य दिये गये समय में पूर्ण ना कर सके तो द्वितीय पक्ष कार्य की अवस्थि बढ़ा सकता है। 02- अपन्न पक्ष को उक्त कार्य के बीच में अवर अभियन्ता द्वारा तैथार किये गये बिल की औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त 90% भुगतान किया जाता रहेगा 03- दितीय पक्ष को अधिकार होगा, कि वह उपरोक्त कार्य में स्थल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी मद को काट सकता है, या कोई नया मद जोउ सकता है, ण्रे इतुर्गे कोई मद ऐता होगा, जिसकी दर टेन्डर में स्वीकृत ना की गई हों, तो उसका भुगतान लो०नि०बि० के शैडयूल की दर से किया जायेगा, जिसमें टेन्डर की दर 04- ्थन ५२ की जमानत की रासि जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :---अ-ं टेन्डर के साथ 2% की दर से जमा एफ0डी0आर0 का नग्बर एवं धनराशि ब- इक्तरारनामे के साथ 8% की दर से जमा एफ0डी२आर0 का नम्बर एवं धनराशि अन्तिम बिल के भुगतान के छः माह के बाद वापिस की जायेगी, ब्रिलीय पक्ष चाहे तो छः माह से पूर्व/बाद भी दिनॉकः निर्धारित कर सकता है। 05- यहै निर्माण कार्य शासकीय अनुदान का है, तो उनका भुगतान उन्हीं नियमों के अधीन किया जायेगा, जिलको शासन से (शासकीय लावेशों में) अंकित किया है। 06- बादे कोई ऐसी पनराशि जिसे शासन ने टेक्टेशर के जिल से काटने के निर्देश दिये हो, या पहले आदेश हो, उसकी कटोती बिल से की जायेगी, तथा उसकी साक्रिशन विकाग के खाते में जमा करके सुचना /प्रति प्रथम पक्ष को दी जायेगी, यदि कटोती की धनराशि पर सम्बन्धित विभाग कोई आपत्ति करके ओर धनराशि बतायेगा. ो उसकी किर्य के समृष् अथवा कार्य के पश्चात जॉच/सत्याप- (भौतिक/तकनीकी)अथवा सम्परीक्षा में कोई भी वसूली की राशि निकलती है,तो उसका भुगतान प्रथम पत्र आरा देशरोक्त निर्मूण कार्य के सम्बन्ध में दोनों पक्षो में कोई विवाद होगा, तो उसका निर्णय जिलाधिकारी महोदय,गाजियाबाट करेगें जो दोनों पक्षों को मान्य होगा पूर्वित प्रथम पत्र ने अनुबन्ध से पूर्व जमानत राशि जमा नहीं की है, तो द्वितीय पक्ष चालू हिलों से काटने पर विचार कर सकता उपलेख के अतिरिक्त टेन्डर फार्म पर अंकित शर्ते भी दोनों पक्षों को मान्य होगी । ्ठ- गुरु 100-00 की थनराशि का स्टाम्प पेपर । -2015 अविशासी अविकारी प्रथम पश

ATTESTED

Notary/Advocate Ghaziabad

नगर पालिका परिषद् लोनी, (गाजियाबाद)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है । मौ०ज्ञास्त्राम् न्थ्र	198/247 95
प्रमाणित किया जाता है । मौ०ब्रह्मामानगरमें .35मोक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगरक्लामानगर	
का कार्यरेट ध्राव्हा क्रिष्ट ठेकेदार द्वारा	कराया
गया /कराया जा रहा है । निर्माण कार्य स्थल पर सन्तोष जन	नक है।
मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है।	6.1
हार्ड नं० 35 स् हार पालिका स्नोनी (गा०	प्रभासद वरिषद्
⊅29सभासद	
वार्ड संख्या-	35
नगर पालिका परिषद	ह, लोनी
गाजियाबाद	

- र्यालयः नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रां ः 17 अन्त योजना / रा0वि0आ०-निकाय कोष(03) / कार्यादेश / 2017-2018 दिनोंकः / 5-0/-2018

मैं0 आर0पी0जी0 कन्स्0 कम्पनी पता - डी0-42, बलरामनगर,लोनी गाजियाबाद

विषय:-- निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि निम्न निर्माण कार्य के लिये पूर्व में डाली गई निविदायें न्युनतम होने के कारण निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय निदेशालय,उ०प्र०, ८ वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा निम्न प्रकार से आपके पक्ष में स्वीकृत की गई है, आप तत्व अवशेष जमानत राशि की एफ0डी0आर0 एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करें, आपको निम्न निर्माण कार्य निम्न प्रतिबन्धों /शर्तो पर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1- निर्माण कार्य अनुमानित व्यय के साथ साईड प्लान के अनुसार किया जायेगा ।

2- निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार होगी, यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो ठेकेदार से कमी के आंगणन की वसूली के साथ-2 सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

3- निर्माण कार्य निर्धारित अविध में पूर्ण करना होगा ।

4- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अवर अभियन्ता के माध्यम से निकाय को लिखकर देना होगा ।

5- निर्माण कार्य निकाय के अवर अभियन्ता/लोक निर्माण लिपिक/सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0-2,गाजियाबाद, की देख-रेख में होगा ।

6- कृपया आप यह भी सुनिश्चित करलें, कि निकट भविष्य में परियोजना प्रबन्धक,यमुना प्रवूषण नियंत्रण ईकाई (प्रथम) उ० प्र० जलनिगम, आर-1 नया रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, के सामने द्वारा यू आई डी एस एस एम टी के अर्न्तगत सीवर∕पेयजल की पाइप लाइन का डाला जाना प्रस्तावित तो नही हैं, तािक निर्माण कार्य का कम से कम एक वर्ष तक निर्माण सुरक्षित रह सके । यदि निर्माण कार्य के पश्चात सीवर/पेयजल की लाइन से निर्माण क्षतिग्रस्त होती है, तो पूर्णतया जिम्मेदारी आपकी होगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से लिखित में सूचना प्राप्त करलें ।

7- निर्माण कार्य का बोर्ड निर्माण स्थल पर लगाना अति आवश्यक होगा, जिसमें उसका सभी पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा ।

- 8- प्रशनगत योजनान्तंगत पूर्व में एवं भविष्य में सचिव,उ०प्र०शासन,नगर विकास विभाग,लखनऊ/निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय, निवेशालय, 30प्र0, 8 वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा समय-2 पर निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा
- 9- प्रमुख सचिव,उं0प्र0शासन,नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र सं0 24 वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनॉकः 24-08-2107 के निर्देशानुसार -(2) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्ट्रेक्टर की होगी यह शर्त टैन्डर में स्पष्ट अंकित की जायेगी। परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉमेन्स गारन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी, का पालन ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)

10-ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटो प्रस्तत करने अनिवार्य होंगें।

क0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन राशि	स्वीकृत दर	स्वीकृत राशि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
01	नगरपालिका परिषद,लोनी के लालबाग कालोनी के बी0 ब्लाक के पार्क का	डी.पी.आर. ∕ए.स.ओ.आर. के अनुसार 26,17,000-00	0.20% कम दर	26,12,000-00	06 माह
	सौन्दर्यकरण का कार्य।	<u>ओ. एण्ड एम.के अनुसार</u> 01,09,000-00	पर	01,08,000-00	

1- अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता,लो०नि०वि०-२,गाजियाबाद, को आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

2- अवर अभियन्ता(अक्रिप्त) िक्टा कि कार्य की गुणवत्ता, निर्माण लिपिक, निर्माण लि मानक के अनुरूप एवं बोर्ड की बैठक दिनोंक: 26-09-2016 में दिये गये निर्देशानुरूप निर्माण कार्य को अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करें, तथा प्रगति की रिर्पोट प्रति सप्ताह अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के 🖫 -2 ठेकेदार को आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी नीटिस आदि जार्री करने की कार्यवाही करे, क0सं0 9 का विशेष ध्यान रखा जाये, निर्माण कार्य की साईड के फोटो के बिना बिल प्रस्तुत नहीं किया जाये।

अवर अभियन्ता पालिकी परिषद,लोनी गजियाबाद

(डा० धीरेन्द्रकुमार राय) अधिशासी अधिकारी अधिशास्त्र अधिकासीग्रपालिका परिषद, लोनी नगरपालिका परिषद,लानी गाजियाबाद गाजियाबाद

AMRUT YOJANA

- 48 -

कार्यालय:- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांकः 🖊 भागापाणपा /अमृत योजना / रा०वि०आ०-निकाय कोष(03) / कार्यादेश / 2017-2018 दिनॉकः । 🗸 - 0 | -2018

मैं0 त्यागी डवलपर्स प्रा0लि0

पता - ग्रा०-सिगोली तगा तहसील-खेकडा (हाल पता-बी-5/127, भगीरथी विहार फैस-2, दिल्ली)

विषय:-- निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि निम्न निर्माण कार्य के लिये पूर्व में डाली गई निविदायें न्युनतम होने के कारण निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय निदेशालय,उ०प्र०, 8 वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा निम्न प्रकार से आपके पक्ष में स्वीकृत की गई है, आप तत्काल अवशेष जमानत राशि की एफं0डी0आर0 एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करें, आपको निम्न निर्माण कार्य निम्न प्रतिबन्धों /शर्तो पर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमित प्रदान की जाती है:--

1- निर्माण कार्य अनुमानित व्यय के साथ साईड प्लान के अनुसार किया जायेगा ।

2- निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार होगी, यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो टेकेदार से कमी के आंगणन की वसूली के साथ-2 सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

3- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा।

4- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अवर अभियन्ता के माध्यम से निकाय को लिखकर देना होगा।

5- निर्माण कार्य निकाय के अवर अभियन्ता/लोक निर्माण लिपिक/सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0-2,गाजियाबाद, की देख-रेख में होगा।

6- कृपया आप यह भी सुनिश्चित करलें, कि निकट भविष्य में परियोजना प्रबन्धक,यमुना प्रदूषण नियंत्रण ईकाई (प्रथम) उठ प्रठ जलनिगम, आर-1 नया रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, के सामने द्वारा यू आई डी एस एस एम टी के अर्न्तगत सीवर/पेयजल की पाइप लाइन का डाला जाना प्रस्तावित तो नही है, तािक निर्माण कार्य का कम से कम एक वर्ष तक निर्माण सुरक्षित रह सके । यदि निर्माण कार्य के पश्चात सीवर/पेयजल की लाइन से निर्माण क्षतिग्रस्त होती है, तो पूर्णतया जिम्मेदारी आपकी होगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से लिखित में सूचना प्राप्त करलें ।

7- निर्माण कार्य का बोर्ड निर्माण स्थल पर लगाना अति आवश्यक होगा, जिसमें उसका सभी पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा ।

8- प्रशनगत योजनार्न्तगत पूर्व में एवं भविष्य में सचिव,उ०प्र0शासन,नगर विकास विभाग,लखनऊ/निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय, निदेशालय,उ०प्र0, 8 वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा समय-2 पर निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा।

9- प्रमुख सचिव,उ०प्र0शासन,नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र सं0 24 वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनॉकः 24-08-2107 के निर्देशानुसार -(2) योजनार्न्तगत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्ट्रेक्टर की होगी यह शर्त टैन्डर में स्पष्ट अंकित की जायेगी। परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉमेन्स गारन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समूचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी, का पालन ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)

10-ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटो प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगें।

क0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन राशि	स्वीकृत दर	स्वीकृत राशि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
01	नगरपालिका परिषद,लोनी के अम्बेडकर पार्क विकासनगर का सौन्दर्यकरण का	<u> श्री.पी.आर. ∕प.स.ओ.आर. के अनुसार</u> 48,80,000-00	0.50% कम दर	48,55,000-00	06 माह
	कार्य।	<u>ओ. एण्ड एम.के अनुसार</u> 04,75,000-00	पर	04,73,000-00	

प्रतिलिपि:-

रपालिका परिषद लोनी

गाजियाबाद

1- अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता,लो०नि०वि०-२,गाजियाबाद, को आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

2- अवर अभियन्ता(अल्बि. प्रीति का वार्ष की गुणवत्ता, मानक के अनुरूप एवं बोर्ड की बैठक दिनॉक: 26-09-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माण कार्य को अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करें, तथा प्रगति की रिर्पोट प्रति सप्ताह अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के साथ -2 ठेकेदार को आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी नोटिस आदि जारी करने की कार्यवाही करे, क0सं0 10 का विशेष ध्यान रखा जाये, निर्माण कार्य की साईड के फोटो के बिना बिल प्रस्तुत नहीं किया

> नगरपािका परिषद,लोनी नगरपालिको प्ररिषद लानी

धीरेन्द्रकुमार राय) अधिशासी अधिकारी

गेजियाबाद

गाजियाबाद

<u>्वांलयः</u>- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

त्रांकः 7 रिन0पा0प0/अमृत योजना/रा0वि0आ0-निकाय कोष(03)/कार्यादेश/2017-2018 दिनॉकः 💍 🗸 -0 -2018

0 विशाल बिल्डर्स

ता - ग्राम व डा० -मण्डोला

गाजियाबाद

ाषय:-- निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि निम्न निर्माण कार्य के लिये पूर्व में डाली गई निविदायें न्युनतम होने के कारण निदेशक/राज्य ।शन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय निदेशालय,उ०प्र०, 8 वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा निम्न प्रकार से आपके पक्ष में स्वीकृत की गई है, आप तत्काल ।वशेष जमानत राशि की एफ0डी0आर0 एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करें, आपको निम्न निर्माण कार्य निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो पर गर्य प्रारम्भ करने की अनुमित प्रदान की जाती है:-----

- निर्माण कार्य अनुमानित व्यय के साथ साईड प्लान के अनुसार किया जायेगा ।

- निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार होगी, यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो ठेकेदार से कमी के आंगणन की वसूली के साथ-2 सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

- निर्माण कार्य निर्धारित अविध में पूर्ण करना होगा ।

- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अवर अभियन्ता के माध्यम से निकाय को लिखकर देना होगा ।

- निर्माण कार्य निकाय के अवर अभियन्ता/लोक निर्माण लिपिक/सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0-2,गाजियाबाद, की देख-रेख में होगा ।

- कृपया आप यह भी सुनिश्चित करलें, कि निकट भविष्य में परियोजना प्रबन्धक,यमुना प्रदूषण नियंत्रण ईकाई (प्रथम) उ0 प्र0 जलनिगम, आर-1 नया रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, के सामने द्वारा यू आई डी एस एस एम टी के अर्त्तगत सीवर∕पेयजल की पाइप लाइन का डाला जाना प्रस्तावित तो नही है, तािक निर्माण कार्य का कम से कम एक वर्ष तक निर्माण सुरक्षित रह सके । यदि निर्माण कार्य के पश्चात सीवर∕पेयजल की लाइन से निर्माण क्षतिग्रस्त होती है, तो पूर्णतया जिम्मेदारी आपकी होगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से लिखित में सूचना प्राप्त करलें ।

- निर्माण कार्य का बोर्ड निर्माण स्थल पर लगाना अति आवश्यक होगा, जिसमें उसका सभी पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा ।

- प्रशनगत योजनार्न्तगत पूर्व में एवं भविष्य में सचिव,उ०प्र0शासन,नगर विकास विभाग,लखनऊ/निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय, निदेशालय,उ०प्र0, 8 वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा समय-2 पर निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा
- प्रमुख सचिव,उ०प्र0शासन,नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र सं0 24 वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनॉकः 24-08-2107 के निर्देशानुसार -(2) योजनान्तंगत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्ट्रेक्टर की होगी यह शर्त टैन्डर में स्पष्ट अंकित की जायेगी। परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉमेन्स गारन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी, का पालन टेकेदार/फर्म को प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)

0-ठेंकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटो प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगें।

क0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन राशि	स्वीकृत दर	स्वीकृत राशि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
02	नगरपालिका परिषद,लोनी के ईन्द्रापुरी कालोनी के बी0 ब्लाक के पार्क का	डी.पी.आर. ∕ए.स.ओ.आर. के अनुसार 69,46,000-00	0.25% कम दर	69,28,000-00	06 माह
	सौन्दर्यकरण का कार्य।	ओ. एण्ड एम.के अनुसार 06,63,900-00	पर	06,62,200-00	

प्रतिलिपि:-

1- अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता,लो०नि०वि०-२,गाजियाबाद, को आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

2- अवर अभियन्ता (धी) भी भी कार्या)/लोक निर्माण लिपिक, न0 पा0 प0 लोनी को इस निर्देश के साथ, कि कार्य की गुणवत्ता, मानक के अनुरूप एवं बोर्ड की बैठक दिनॉक: 26-09-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माण कार्य को अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करें, तथा प्रगति की रिर्पोट प्रति सप्ताह अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के साथ -2 ठेकेदार को आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी नोटिस आदि प्रति करने की कार्यवाही करें, क0सं0 10 का विशेष ध्यान रखा जाये, निर्माण कार्य की साईड के फोटो के बिना बिल प्रस्तुत नहीं किया जाये।

अवरे अभियन्ता

एपालिका परिषद,लोनी

आधशासी अधिकारी न नगरपालिका अपरिषद लानी

(ॐि गिरेन्द्रकुमार राय) अधिशासी अधिकारी आधिकारो नगरपालिका परिषद,लोनी परिषद लानी गजियाबाद

गाजियास्तर

कार्यालय- नगरपालिका परिषद,लोनी (गाजियाबाद)

ः ई-निविदा सूचना ःः

नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद) अमृत योजना के अर्न्तगत वित्तिय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि/निकाय कोष से निम्निलिखित पार्कों के विकास एवं रख-रखाव के कार्यों हेतू निकाय में पंजीकृत टेकेदारों से दिनॉकः 17-10-2017 तक ई-निविदायें आंमत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र वेबसाईट etender.up.nic.in एवं npploni.in पर निर्धारित प्रपत्र मूल्य ऑनलाईन (S.B.I.LONI-II S Code: SBIN0002408 A/C.N0. 10280366094) भुगतान कर दिनॉकः 26-09-2017 से दिनॉकः 16-10-2017 तक डाऊनलोड किये जा सकते है, निविदाओं को दिनॉकः 17-10-2017 को अपरान्हः 3.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। तकनीकि निविदाओं को दिनॉक:17-10-2017 को सांयः 4.00 बजे अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद,लोनी के कार्यालय में ठेकेदारों की उपस्थिति में खोली जायेगी। तकनीिक निविदा में सफल निविदादाताओं की फाइनेन्शियल बिड दिनॉकः 18-10-2017 को दोपहर 12-00 बरो को खोली जायेगी । धरोहर राशि ऑनलाईन (S.B.I.LONI -IFS Code: SBIN0002408 A/C.N0. 10280366094) में जमा कराई जायेगी, अमृत योजनान्तर्गत दिये गये निर्देशों अनुरूप निविदा प्रक्रिया मे 04 अलग-अलग सीलबन्द लिफाफों का प्रयोग किया जायेगा। जिसमे से लिफाफा "ए" का प्रयोग धरोहर धनराशि के लिए (ऑन लाइन जमा की बैंक पर्ची) लिफाफा "बी" का प्रयोग तकनीकी निविदा के लिये लिफाफा "सी" का प्रयोग वित्तिय निविदा के लिये होगा एवं लिफाफा ए.बी.सी. एक बंडे लिफाफे "डी" में रखकर निविदा प्रस्तुत किये जाने के समक्ष सीलबन्द लिफाफा करके निविदा बाक्स में डाला जायेगा। तकनीकी निविदा के परीक्षणोपरान्त कुल 200 अंको से न्यूनतम 120 अंक प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तिय निविदा खोली जायेगी। किन्ही कारणवश उक्त तिथि में अवकाश होने पर अगला कार्यदिवस माना जायेगा। निविदा सम्बन्धी नियम व शर्ते निकाय कार्यालय में कार्य अविध में अथवा निकाय की बेवसाईट पर देखी जा सकती है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिकारी अधिकारी नगरपालिका परिषद, लोनी मे निहित होगा। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:---

क्र0 सं0	(極0		अनुगानित लाग (रू० लाख में	नुमानित लागत 2% धरोहर रू0 लाख में) धनराशि		निविदा मूल्य+	कार्य पूर्ण करने का समय	ठेकेदार की श्रेणी
		प्रोजेक्ट	ओ.एण्ड एम.	योग	(रू० लाख में)	GST		
1	वार्ड नम्बर-01, अम्बेडकर पार्क मौहल्ला विकास नगर के पार्क का सौर्न्यकरण।	48.80	4.75	53.55	1.071	5000.00	3 माह	ए- श्रेणी
2	वार्ड नम्बर-10, बी ब्लाक, इन्द्रापुरी के पार्क का सौन्यंकरण ।	69.46	6.64	76.10	1.522	7000.00	3 माह	ए- श्रेणी
3	नगरपालिका परिषद,लोनी के लालबाग कालोनी के बी0 ब्लाक के पार्क का सौन्दर्यकरण का कार्य।	27.27	2.99	30.26	0.605	3000.00	3 माह	ए- श्रेणी

नियम व शर्ते-

A- फाईनेन्सियल/कामर्शियल बिड

1- निविदा डालते समय उपरोक्त अंकित 2 प्रतिशत धरोहर ऑनलाईन (S.B.I.LONI-IFS Code: SBIN0002408 A/C.N0. 10280366094) में जमा कराई जानी अनिवार्य होगी। साथ ही शासन द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने एंव निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किये जाने के बाद ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

2- निविदा केवल प्रतिशत दर पर ही मान्य होगी तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार शासन में निष्ठित होगा। सशर्त

अवर अभियन्तां नगरपुत्रिका परिषद, लौनी गाणियाबाद AMRUT YOJANA

- 110 -

3- निविदा के साथ जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (निर्धारित समयाविध का हो) एवं किसी सरकारी विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र साथ साथ व्यापार कर, आयकर प्रमाण पत्र, एवं श्रम विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र

4- निविदाबाता को इस आश्य का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह शासकीय/अशासकीय अथवा अन्य किसी संस्था से निविदा कार्य

B-टेक्निकल बिड-

1- निविदादाता को उक्त कार्यो से सम्बन्धित अन्य विभागों में कराये गये कार्यो का अनुबन्ध प्रमाण पत्र व कार्यादेश की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2- निविदादाता को उपरोक्त परियोजना से सम्बन्धित अंकन 25.00 लाख तक कार्य विगत तीन वर्षों में कराये जाने से सम्बन्धित प्रमाण

3- निविदादाता को गत वर्षों की बैलेन्स सीट जो चार्टेड एकाउण्टेड/बैंक द्वारा निर्गत की गयी हो, संलग्न करना होगा।

4- ISO-9001-2000 का प्रमाण पत्र रखने वाली फर्मी /कम्पनी को वरीयता दी जायेगी।

5- निविदादाता को 3-5 वर्षों का इनकम-टैक्स रिर्टन की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

6- निविदादाता को अपनी फर्म में कार्य करने वाले सामान्य एवं तकनीकी स्टाफ का विवरण शैक्षिक योग्यता सहित तथा तकनीकी उपकरणों से सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

7- निविदादाता को उन विभागों की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसने निविदा के आधार पर पार्क निर्माण/रख-रखाव C-सामान्य शर्ते-

1- अनुरक्षण अविध 5 वर्षों की होगी, जमानत राशि 5 वर्ष पश्चात ही वापिस की जायेगी, जिसमें यदि ठेकेदार/फर्म कार्य में अन्य किमयों को तीन दिवस के अन्दर टीक नहीं करता है, तो उस पर अर्थदण्ड के रूप में कटोती को ओ. एण्ड एम. की लागत से काट ली जायेगी। 2- कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, समय से कार्य पूर्ण न होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की

3- पार्क के सौर्न्यकरण के पश्चात आगामी 5 वर्षो तक पार्क के रख-रखाव का दायित्व भी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा किया जाना होगा, जिसके अनुरक्षण का भुगतान पूर्णतः सन्तोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार किया जायेगा। कमी पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उस फर्मे की जमानत धनराशि जप्त कर ली जाये।

4- कार्यादेश जारी होने पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अमृत योजनान्तर्गत दिये गये विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार ही टेकेदार

5- ठेकेंदार/फर्म द्वारा निविदा के आधार पर कराये गये निर्माण में यदि किसी प्रकार की कमी जांच के समय पायी जाती है, ठेकेंदार/फर्म स्वयं उत्तरदायी होगें, एवं भुगतान किया जाना सम्भव नही होगा।

> अवर अभियन्ता नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

धीर दकुमार राय) अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

कार्यालय:- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांकः ¹⁵²⁵/न0पा0प0 / अमृत / रा0वि0आ0-नि0को० / 2017-18 दिनॉकः २५-०९-2017 प्रतिलिपि:- उपरोक्त संदर्भ में निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित ।

1- जिलाधिकारी महोदय,गाजियाबाद

2- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रशासन, गाजियाबाद

3- उप्रिजिलाधिकारी, लोनी। AMRUT YOUNG अभियन्ता

नगरपालिका परिषद, लीनी

गानियादाद

- 111 -

अभिभासी 🗸 नगरपालिका परिषव,लान गाजियालार

1. Nav Yug Children park in ward no - 12



2. A- Block, Balram Nagar ward no - 38





3. Indra Enclave ward no - 37





